

निदेशक,
उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान,
डाकघर - आर०एफ०आर०सी०,
मण्डला रोड,
जबलपुर - 482 021.

निविदा प्रपत्र

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा जारी अनुपयोगी वाहन के "जहाँ है जैसा है" स्थिति के आधार पर निस्तारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अधोहस्ताक्षरकर्ता निम्न विवरणों के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

1. निविदाकर्ता का नाम
2. पिता का नाम
3. पता
-
-
- फोन नं०मोबाइल नं०.....
4. आयु
5. व्यवसाय
6. वाहन का विवरण जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की जा रही है

वाहन का विवरण	धरोहर/अमानत राशि (रूपये में)	बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक एवं दिनांक	प्रस्तावित क्रय राशि (रूपये में)

मेरे द्वारा समस्त शर्तों का पठन कर लिया गया है तथा मैं पूर्णतय सहमत हूँ। मेने प्रस्तावित निस्तारण वाहन का निरीक्षण भी कर लिया है।

दिनांक / /

निविदाकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
डाकघर - आर.एफ.आर.सी., मंडला रोड, जबलपुर- 482 021

अनुपयोगी वाहन के निस्तारण हेतु निविदा सूचना

संस्थान के अनुपयोगी वाहन (महिन्द्रा DI जीप, मॉडल-1994, MP20F 1948) के “जहाँ है जैसा है” स्थिति के आधार पर निस्तारण हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रूपये 250/- डी.डी./बैंकर्स चेक/नगद भुगतान (निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय) कर दिनांक 30/01/2012 से दिनांक 16/02/2012 तक कार्यालयीन समय में वाहन अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं जिसे दिनांक 17/02/2012 को 15.00 बजे तक धरोहर राशि सहित जमा किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 15.30 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। प्रस्तावित नीलामी के वाहन का निरीक्षण संस्थान के वाहन अनुभाग में कार्यालयीन दिवसों (सोम० से शुक्र०) तक कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। अपूर्ण एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा सम्बन्धी अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट <http://tfri.icfre.gov.in> पर भी उपलब्ध रहेगी।

निदेशक

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर (म०प्र०)

निविदा की शर्त

1. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता को स्वमं या उसके केवल एक अधिकृत प्रतिनिधि को ही नीलामी स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा।
2. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने या नीलामी निरस्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित है।
3. विज्ञापन प्रकाशन में हुई त्रुटि (यदि कोई हैं) के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं रहेगा।
4. वाहन “जहाँ है जैसा है” के आधार पर निस्तारण एवं हस्तांतरित किया जाएगा।
5. निविदा प्रपत्र में सम्पूर्ण जानकारी, पत्राचार का पता, अमानत की राशि, प्रस्तावित क्रय राशि एवं वाहन के प्रकार को स्पष्ट शब्दों में अंकित करना होगा। ऐसा न होने पर निविदा पर विचार करना संभव नहीं होगा।
6. निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में संस्थान के वाहन अनुभाग से रूपये 250/- के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/नगद भुगतान करके प्राप्त किये जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में देय होना चाहिए।
7. अमानत की राशि प्रस्तावित निस्तारण वाहन महिन्द्रा DI जीप के लिए रूपये 3500/- निर्धारित की गई है। अमानत की राशि निदेशक, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक के माध्यम से ही स्वीकारी जाएगी।
8. निविदा प्रपत्र दिनांक 30/01/2012 से दिनांक 16/02/2012 तक कार्यालयीन समय में वाहन अनुभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं जिसे दिनांक 17/02/2012 को 15.00 बजे तक धरोहर राशि सहित जमा किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 15.30 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी।
9. अधिकतम निविदा राशि वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित किया जाएगा बशर्ते वह अन्य समस्त पात्रताएं पूरी करता हो।
10. सफल निविदाकर्ता को निविदा की सम्पूर्ण क्रय राशि एवं टैक्स (जैसा लागू हो) को नीलामी तिथि से 10 दिनों के अन्दर जमा करना होगा एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण कर स्वमं के व्यय पर वाहन को ले जाना होगा अन्यथा अमानत की राशि राजसात कर ली जायगी एवं द्वितीय सफलतम निविदाकर्ता को प्रस्ताव जारी किया जा सकता है।
11. टैक्स राशि (जैसा लागू हो) का भुगतान क्रय राशि के अतिरिक्त देय होगा।
12. पूर्ण विक्रय राशि प्राप्त होने पर एवं निर्धारित शर्तों के संतोषजनक पूर्ण होने पर सफलतम निविदाकर्ता के पक्ष में विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा। निविदाकर्ता को वाहन प्राप्ति की हस्ताक्षरित प्रति देनी होगी।
13. संस्थान के वेब साइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 250/- के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक निदेशक उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पक्ष में (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के द्वारा जारी) लगाना अनिवार्य है। ऐसा न किये जाने पर निविदा अमान्य मानी जाएगी।

निदेशक

उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
जबलपुर म०प्र०